न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :–श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–77/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024/77

अपीलाण्ट :–

मदनलाल पुत्र तेजाराम, कौम भाट, निवासी– नया गांव, तहसील पाली, जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1. अलिया पुत्री ओकाराम, भाट
2. सोनाराम पुत्र ओकाराम, भाट
3. बुदांराम पुत्र ओकाराम, भाट
4. पपाराम पुत्र ओकाराम, भाट
5. सागरराम पुत्र ओकाराम, समस्त भाट, निवासीगण भाटो का वास, सेलडी, तहसील आहोर, जिला जालोर।
6. जबीया पुत्री ओकाराम पत्नी नेमाराम, भाट, निवासी हाल रामासीया, तहसील व जिला पाली।
7. सन्तोष पुत्री ओकाराम पत्नी मदनलाल, भाट, निवासी– हाल डेण्डा, तहसील व जिला पाली।
8. उपतहसीलदार भाद्राजून, तहसील आहोर, जिला जालौर

<u>अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर नामान्तरकरण अपील सं. 24/2018 अनवान ओकाराम के कायमुकामान बनाम मदनलाल में निर्णय दिनांक 29.11.2019 नामानतरकरण सं. 788 दिनांक 30.05.2018</u>

उपस्थिति :–
1. श्री अशोक अरोडा, श्री तरूण उपाध्याय, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. श्री मनोहरदास वैष्णव, विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट।

:: <u>निर्णय</u> ::

दिनांकः– 29/10/24

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि_न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर नामान्तरकरण अपील सं. 24/2018 उनवान ओकाराम के कायमुकामान बनाम मदनलाल में निर्णय दिनांक 29.11.2019 से

29/10/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

व्यथित होकर अपीलाण्ट प्रार्थी ने द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

3. बहस वकुलाय सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

अधिनस्थ न्यायालय ने अवैध, अनाधिकार रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो किसी भी सुरत में पोषणीय नहीं है।

वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 450 रकबा 4.43 हेक्टेयर पर अपीलार्थी अपने नाना कालू के समय से ही बहैसियत खातेदार काश्तकार के काबिज है तथा काश्त करता आ रहा है। अपीलार्थी की माता श्रीमती शांति का जल्दी ही देहान्त हो जाने के कारण अपीलार्थी अपने नाना कालू के पास ही निवास करता था तथा कालू के देहान्त होने पर उसके अन्तिम क्रियाकर्म भी अपीलार्थी ने ही किये थे। स्वीकृत रूप से वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी के नानां कालू तथा प्रत्यर्थीगण के पिता ओकाराम की संयुक्त रेकॉर्डेड खातेदारी की कृषी भूमि रही है तथा अपीलार्थी मृत्तक खातेदार की पूर्व मृत पुत्री का पुत्र है। ऐसी स्थिति में मृतक कालूराम का एकमात्र विधिक प्रतिनिधी अपीलार्थी ही है। जिस तथ्य को गौर किये बिना ही आलोच्य निर्णय पारित कर दिया है, जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय पारित करने में गम्भिर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है।

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष नामांतरकरण पारित होने के 8 वर्ष पश्चात् अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसकी बखूबी जानकारी समस्त प्रत्यर्थीगण को शुरू से ही रही थी, जिस सम्बन्ध में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थीगण द्वारा विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना ही तथा विलम्ब को क्षमा किये बिना ही आलोच्य निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है।

विधि का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि जहां कोई अपील अथवा आवेदन विधि द्वारा समयावधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है वहां विरोधी पक्षकार के हक में एक विशेष अधिकार का सृजन हो जाता है। जब तक विलम्ब क्षमा नही किया जाता तब तक न्यायालय को उक्त अपील अथवा आवेदन सुनने का क्षेत्राधिकार भी नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में आलोच्य निर्णय क्षेत्राधिकार विहिन रूप से पारित किये जाने के कारण निरस्त योग्य है।

विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां अपील लम्बी समयावधि के पश्चात, वहां गुणावगुण को देखा ही नहीं जा सकता बल्कि मयाद के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

बिन्दु पर ही अपील निरस्त योग्य हो जाती है लेकिन फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अवैध व अनाधिकार रूप से आलोच्य नामांतरकरण को निरस्त करने में गम्भिर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है।

अधिनस्थ न्यायालय ने न तो पक्षकाराण के विवाद को समझा एवं न ही इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई सकारण आदेश भी पारित किया गया है। वास्तव में नामांतरकण सं. 499 विधिवत रूप से सुगनी बेवा कालू का फौतगी नामांतरकण है जो कतई एब इनइशियों वाइड नही है। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरणकरण को एब इनइशियो वाइड मानने में तथा परिणाम स्वरूप हस्तगत नामान्तरकरण सं. 788 को भी एब इनइशियों वॉइड मानने में मम्भिर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। जिस कारण आलोच्य निर्णय निरस्त योग्य है।

अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मयाद तथा प्रथम श्रेणी के विधिक वारीसान के सम्बन्ध में अनेक न्याय दृष्ठान भी प्रस्तुत किये है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनका अवलोकन तक भी नही किया गया एवं न ही उस सम्बन्ध में लागू होने अथवा नहीं होने का कथन भी किया गया है।

नामांतरकण सं. 499 खातेदार सुगनी बेवा कालू का फौतगी नामांतरकण है तत्समय श्रीमती सुगनी का प्रथम श्रेणी का वारीस उसकी पूर्व मृत पुत्री का पुत्र अपीलार्थी के नाम भरा जाना था। इस कारण सर्वप्रथम उसकी पुत्री श्रीमती शांति के नाम पारित किया गया तथा पश्चात्वर्ती स्तर पर अपीलार्थी के नाम पारित किया जाना था किन्तु अपीलार्थी को विधिक जानकारी नहीं होने के कारण अग्रिम कार्यवाही तत्समय नहीं की गई किन्तु पश्चात्वर्ती स्तर पर नामांतरकरण सं. 788 के जरिये अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकॉर्ड में शांति का पुत्र होने के आधार पर इन्द्राज कर दिया गया किन्तु इस विधिक स्थिति को समझे बिना ही अधिनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज या तथ्य नहीं था कि शांति के हक में पारित नामांतरकरण एब इनइसियो वाइड हो फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने ऐकाकी दृष्टी रखते हुए नामांतरकरण निरस्त कर दिया, जिस कारण आलोच्य निर्णय निरस्त योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार का निष्कर्ष दिये हुए ही बिना सकारण ही आदेश पारित किया गया है जो विधिनुसार पोषणीय नहीं है। किसी व्यक्ति की धर्मजता से सम्बन्धित तथ्यात्मक विवादित बिन्दुओं का समावेश हो उनका निस्तारण घोषणात्मक वाद से ही किया जा सकता है। नामांतरकण व उसकी अपील मात्र सरसरी कार्यवाही है जिसमें अधिकारों का निस्तारण नहीं किया जा सकता है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकारों से बाहर जाकर अपीलार्थी को उसके हक, अधिकारों से सरसरी कार्यवाही में महरूम करने की चिष्टा की है जिस कारण आलोच्य निर्णय निरस्त योग्य है।

विधिनुसार म्युटेशन एक फिस्कल कार्यवाही है जिसमें अधिकारों का निस्तारण नहीं होता है वहीं स्वयं अधिनस्थ न्यायालयों ने आलोच्य निर्णय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

पारित कर अपीलार्थी के हक व अधिकार समाप्त ही करने का प्रयास किया है जो अधिनस्थ न्यायालय के सीमा क्षेत्र का नहीं है।

पटवारी से नामांतरकरण की जानकारी होना प्रत्यर्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष बताया गया है लेकिन पटवारी द्वारा कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय भारी हर्जे खर्चे सहित निरस्त फरमाया जावे तथा नामांतरकण सं. 499 जो कि उप तहसीलदार भाद्राजून द्वारा दिनांक 22. 12.2010 को पारित किया गया उसे पुनः बहाल किया जावे। अन्य अनुतोष लाभप्रद अपीलार्थी प्रदान फरमाया जावें।

6. रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता ने रेस्पोडेण्ट अलीया व अन्य की ओर से लिखित बहस पेशकर निवेदन है कि–

उक्त अपील के सदर्भित म्युटेशन कमांक 499, 22/12/2010 का मृतक व्यक्ति शांति पुत्री कालु के नाम भरा गया जबकि मृतक व्यक्ति के नाम का म्युटेशन भरने का विधि मे कोई प्रावधान नही है। मृतक व्यक्ति के नाम का भरा गया म्युटेश एब–इनिशयो–वॉइड है यानि की शून्य की परिभाषा मे आता है, उक्त तथ्यो की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29/11/2019 के अंतिम ऑपरेटिव भाग मे पैरा संख्या 06 मे लाईन संख्या 01 से 05 में वर्णित है।

श्रीमान के न्यायालय द्वारा रेवन्यु रेकर्ड मे इन्द्राज तथ्यो की जाँच करने का ही क्षेत्राधिकार है, उत्तराधिकारीयो के संदर्भ मे विवेचना करने का क्षैत्राधिकार श्रीमान को उपलब्ध नही है। उत्तराधिकार का बिन्दु तय करने का क्षेत्राधिकार सिविल कोर्ट को है। इस संदर्भ मे इस लिखित बहस के साथ माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29/11/2019 की प्रतिलिपी सलंग्न है।

उक्त म्युटेशन कमांक 499 दिनांक 22/12/2010 व म्युटेशन क्रमांक 788, दिनांक 30/05/2018 को पढने मात्र से यह स्पष्ट है कि शांति पुत्री कालुराम की मृत्यु दिनांक 02/01/1971 का होना अंकित करते हुए उक्त म्युटेशन भरा गया जब शांति की मृत्यु अपीलांट के कथनानुसार एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 04/11/1975 जो हिन्दु सेवा मण्डल पाली द्वारा जारी रजिस्ट्री की कोपी से भी साबित है तथा अपीलांट मदनलाल द्वारा दिये गये अपने शपथ पत्रो मे अपनी माताजी शांति का स्वर्गवास दिनांक 10/06/1976 को बताया गया है इससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट की माताजी शांति की मृत्यु निश्चित तौर पर अपीलाधीन म्युटेशन कमांक 499 दिनांक 22/12/2010 व म्युटेशन कमांक 788, दिनांक 30/05/2018 के भरे जाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। अपीलांट अपने द्वारा दिये गये शपथ पत्र एवं अपने द्वारा प्रस्तुत अपनी माता शांति के मृत्यु प्रमाण पत्र में वर्णित तथ्यो से बाहर नही जा सकता है, यह स्वीकारोक्ति तथ्य है कि अपीलांट की माताजी शांति की मृत्यु अपीलाधीन म्युटेशन कमांक 499 दिनांक 22/12/2010 व म्युटेशन कमांक 788, दिनांक 30/05/2018 के पूर्व करीबन 30 वर्षो से अधिक समय पूर्व हो चुकी थी, इसके बावजूद भी रेवन्यु अधिकारीयो से मिलावट कर षडयंत्र रचकर उक्त कूटरचित फर्जी म्युटेशन के दस्तावेज निष्पादित किये गये जो शून्य दस्तावेज की परिभाषा मे आता है जिनको खारिज किया जाना कानूनन लाजमी है। यहा तक की अपीलार्थी मदनलाल का

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

जन्म अपने पिता की मृत्यु के पश्चात होने से इनके वारीश होने का कथन भी संदिग्ध है, उक्त तथ्यो की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29/11/2019 के पेज नम्बर 04 के लाईन संख्या 22 से 25 मे "वैसे भी पिताजी की सम्पति मे पुत्री को उस समय मिलता है जब पिता की मृत्यु के समय पुत्री जिंदा हो इस प्रकरण मे पिता की मृत्यु 1989 मे हो गयी तथा उसकी पुत्री शांति की मृत्यु इससे पूर्व वर्ष 1971 मे हो चुकी थी, दुसरे शब्दो मे शांति के पिता की मृत्यु के समय शांति जीवित नही थी इसलिए शांति को उक्त म्युटेशन के जरिये कोई हक नही मिल सकता है तथा अपीलांट मदनलाल का विधि सम्मत वारीशान होने का कोई दस्तावेजात पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। क्योकि शांति के पूर्व पति तेजाराम की मृत्यु होने के पश्चात शांति का दुसरा नाता विवाह मस्तान बाबा पाली मे किया गया था तथा अपीलांट मदनलाल के नैचुरल पिता तेजाराम की मृत्यु के पश्चात अपीलांट मदनलाल का जन्म हुआ था इस परिस्थितियो मे अपीलांट मदनलाल के वास्तविक पिता का नाम पूर्णतया संदेह के घेरे में है। न ही मदनलाल शांती का विधिक वारिश है। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त फर्जी, कूटरचित म्युटेशन अपीलांट मदनलाल ने षडयंत्र रचकर मात्र उक्त कृषि भूमि को हडपने की नियति से विधि विरूद्ध अपनी मृतक माता शांति के नाम म्युटेशन भरवाकर प्राप्त करने का षडयंत्र रचा है जो किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नही हैं जो निरस्त हैं। उक्त तथ्यो की पुष्टी अपीलाण्ट मदनलाल द्वारा प्रस्तुत अपने स्वयं क पहचान बाबत दस्तावेज आधार कार्ड व वोटर कार्ड से स्पष्ट है जो लिखित बहस के साथ न्यायिक दृष्टांत 2007(1) आरआरटी पेज सं. 723, 2010(2)आरआरटी पेज सं.1207, 2011(2)आरआरटी पेज सं. 1057, 2009(2)आरआरटी पेज स. 1337 पेश किये है।

अपीलांट मदनलाल, कालु पुत्र गंगाराम का कतई उत्तराधिकारी नही है, चुकिः अपीलांट मदनलाल की माताजी शांति की मृत्यु, शांति के पिता कालुराम जी से करीबन 15 वर्ष पूर्व हो चुकी थी, यानि की शांति के पिता वर्ष 1989 में हुई थी। यानि जब पुत्री का हक अधिकार ही अपने पिता की भूमि में नही खुल्ला तब अपीलांट मदनलाल की माताजी शांति के मृत्यु के करीबन 35 वर्ष पश्चात, मृतक शांति के म्युटेशन के आधार पर अपीलांट का हिस्सा खोला जाना विधि विरुद्ध जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो से साबित है, हालाकि उत्तराधिकार बाबत तथ्यो की विवेचना करने का श्रीमानजी को क्षेत्राधिकार उपलब्ध नही है फिर भी पत्रावली पर उपलब्ध उक्त तथ्यो की विवेचना करने से यह स्पष्ट है कि उक्त षडयंत्र सुनियोजित षडयंत्र से रचकर मृतक व्यक्ति का विधि विरुद्ध म्युटेशन भरा जाना कानुनन अपराध है, जिस हेतु विभागीय जॉच की जाकर सम्बंधित अधिकारीयो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना अतिआवश्यक व न्यायोचित है।

अतः लिखित बहस पेशकर निवेदन है कि उक्त लिखित बहस स्वीकार फरमावे।

7. पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषको की बहस पर मनन किया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि विवादित भूमि के मूल खातेदार कालू भाट की मृत्यु होने के उपरान्त उसकी पत्नि सुगनी के नाम खातेदारी दर्ज हुई थी। सुगनी पत्नि कालू की मृत्यु के बाद उसकी पुत्री शांति के पक्ष में ना.स. 499 व शांति की मृत्यु होने के उपरान्त ना.स. 718 शांति के पुत्र मदनलाल प्राथी अपीलाण्ट के पक्ष में

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

नामान्तरकरण दर्ज किये गये थे। जिनके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में प्रथम अपील मृतक कालू के भाई ओका के वारिसान द्वारा प्रस्तुत होने पर इन दोनो नामांतरकरण को निर्णय दिनांक 29.11.2019 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील प्रार्थी अपीलाण्ट मदनलाल द्वारा प्रस्तुत की गई है।

8. पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा दोनो पक्षो के विद्वान वकीलो द्वारा प्रस्तुत बहस पर गहनता पूर्वक विचार किया गया। बाद अवलोकन पाया गया की हस्तगत द्वितीय अपील पत्रावली के साथ संलग्न अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जालोर की निर्णित प्रथम अपील पत्रावली में संलग्न उपलब्ध तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 16.08.18 के विन्दु सं. 5 अनुसार अपीलाण्ट मदनलाल का जन्म शांति के गर्भ से होना माना गया है। इस प्रकार मदन शांति का विधिक वारिस है, चाहे उसका जन्म किसी भी पति/पुरूष के युग्म से हुआ हो। मदन की उत्पति जायज या नाजायज संतान के रूप में होने से प्राथी मदनलाल का उसकी माता से मिलने वाले विरासतन हक से वंचित नही रखा जा सकता है। साथ ही शांति का सुगनी की पुत्री होना भी एडमिटेड फेक्ट है। सुगनी की मृत्यु होने पर विधिक रूप से वारिस उसकी एक मात्र पुत्री शांति ही है। सुगनी की मृत्यु उपरान्त उसकी विधिक वारिस शांति के नाम नामान्तरकरण संख्या 499 दर्ज होने में विलम्ब होने पर शांति के हक हकूको पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। साथ ही शांति की मृत्यु पर मदन के हक हकूको पर भी कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा।

विरासत का नामान्तरकरण समयबद्ध विधिक वारिसान के नाम दर्ज करने का दायित्व राजस्व विभाग का है। एवं यह प्रकिया मात्र भू राजस्व अभिलेखो को अधतन रखने की प्रकिया मात्र(फिक्सल प्रेसिडिग) है।इसके विलम्ब से या त्रुटिपूर्वक सम्पन्न करने से किसी के विधिक हको पर कतई विपरीत प्रभाव नही पडता। सुगनी की मृत्यु पर विरासत का ना. स. 499 के दर्ज करने में शांति व मदनलाल के हको पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडेगा। साथ ही यह ना.करण सं. 499 भी अपूर्ण दर्ज किया गया था। इसी ना.करण सं. 499 के जरिये शांति की मृत्यु सहित उसके पुत्र मदनलाल का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करना चाहिए था जो बाद में ना.स. 788 दि. 30.5.2018 द्वारा दर्ज किया गया। यह स्थिति राजस्व विभाग की कार्य प्रणाली पर भी एक प्रश्नचिन्ह है। साथ ही शांति की मृत्यु प्रमाण पत्र के मृत्यु के स्थान बाबत विवाद से शांति या मदन के विधिक अधिकारो पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा अपितू स्थापित एक मात्र तथ्य यह है कि शांति की मृत्यु हो चुकी है। ओर इसका विधिक वारिस उसके गर्भ से जन्मा पुत्र मदनलाल अपीलाण्ट है। यह भी प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यो को कानून की कसौटी पर परीक्षण करने में विधिक भूल की है, जिसका पक्षकारो के हकहकूको पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा।

प्रकरण में मृतक शांति के वारिस होने या नही होने की विधिक घोषणा का भी कोई प्रश्न विहित ही नही है क्योंकि संतान के जायज

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

या नाजायज होने से उसकी मां से प्राप्त पैतृक सम्पति में विधिक अधिकारो पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडेगा। प्रकरणमें यह स्थापित तथ्य है कि मदनलाल शांति के गर्भ से जन्मा है, चाहे जायज हो या नाजायज संतान के रूप मे । इस प्रकार मदनलाल शांति का विधिक वारिस होने से प्रकरण में विधिक वारिसान की घोषणा बाबत सिविल न्यायालय का भी प्रकरण नही बनता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर एवं अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जालोर की अपील सं. 24/2018 अनवान ओकाराम के कायमुकामान बनाम मदनलाल में निर्णय दिनांक 29.11.2019 को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

28/10/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 28/10/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

28/10/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)